- 1

संख्या 11022/1/83-अ0भा0से0-11

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13-1-1984

सेवा में,

सभी राज्यों के मुख्य सचिव,

विषय:- छुट्टी यात्रा रियायत ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/14/83-स्था0-क दिनांक 29-11-83 तथा 31011/17/83-स्था (क) दिनांक 27-11-83 की एक प्रति इसके साथ भेजने का निदेश हुआ है। अत: अनुरोध है कि इन आदेशों की विषय वस्तुत अपने राज्य के सभी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के ध्यान में लाई जाए ।

भवदीय,

(एम0पी0 कुरूप)

डेस्क अधिकारी

संख्या 31011/14/83-स्थापना (क)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर, 1983

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- छुट्टी यात्रा रियायत- अग्रिम राशि के दुरूपयोग को रोकने अथवा उपयोग में न लाई गई अग्रिम राशि को वापिस करने में देरी के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ प्राप्त करने के लिए ली गई अग्रिम राशि का दुरूपयोग न हो तथा यदि किसी कारण से उक्त राशि का उपयोग नहीं किया जाता है तो यह राशि बिना किसी विलम्ब के वापिस कर दी जाय, यह निर्णय किया गया है कि छुट्टी यात्रा रियायत के उद्देश्य से अग्रिम राशि के आहरण के सभी मामलों में यात्रा के लिए अग्रिम राशि का उपयोग करने के सम्बन्धं में बस द्वारा यात्रा करने के लिए नकदी रसीद अथवा टिकटें अथवा रेलवे टिकटें, जैसे दस्तावेजी साक्ष्य यह दिखाने के लिए कि संबंधित सरकारी कर्मचारी ने अग्रिम राशि के लिए अपने आवेदन पत्र में जिस स्थान का नाम दिया है उसकी यात्रा के लिए टिकट खरीदने के लिए उक्त राशि का वास्तव में उपयोग कर लिया है अग्रिम आहरण के 10 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे ।

वित्त मंत्रालय आदि से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अनुपालन करने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी में लाएं ।

ह0/-
(कु0 सुरेश त्रिखा)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालयों/विभागों को सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

संख्या 31011/17/83-स्था०(क)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग
नई दिल्ली, दिनांक 27-12-1983

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- छुट्टी यात्रा रियायत- नान फेमिली स्टेशनों पर तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी परिवार के सदस्यों के संबंध में हकदारी ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के दिनांक 24-3-1981 के का०ज्ञा०सं० 31011/6/80-स्था०(क) के संदर्भ में, कुछ मंत्रालयों तथा विभागों में नान-फैमिली स्टेशनों पर तैनात केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को छुट्टी यात्रा रियायत की स्वीकार्यता का प्रश्न उठाया है क्योंकि ऐसे कर्मचारियों के परिवारों को अनिवार्यत: संबंधित कर्मचारी के मुख्यालय से दूर स्थान पर रहना पड़ता है और इसलिए वे उसके परिवार के सदस्य माने जाने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारी के साथ रहने संबंधी अनुपूरक नियम 2(8) की अपेक्षा पूरी नहीं करते । इस मामले के सभी पहलुओं पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद, यह निर्णय किया गया है कि नान-फैमिली स्टेशनों पर तैनात सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को 4 वर्षों के एक ब्लाक में भारत में किसी भी स्थान के लिए/दो वर्षों के ब्लाक में मूल निवास के लिए एक बार यात्रा करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन छुट्टी यात्रा रियायत की अनुमति दी जा सकती है:-

1- संबंधित सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवा शर्तों के अधीन अपनी तैनाती के स्थान पर परिवार के साथ रहने से वंचित किया गया हो; अथवा

2- ऐसी रियायत सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति तथा 21 वर्ष की की आयु तक के आश्रित बच्चों तक सीमित रहेगी ।

3- ऐसी प्रतिपूर्ति परिवार द्वारा यात्रा किए गए स्थान की वास्तविक दूरी अथवा मुख्यालय/सरकारी कर्मचारी के तैनाती के स्थान तथा यात्रा स्थान/मूल निवास स्थान के बीच की दूरी, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी ।

ह/-
(कु०एस० त्रिखा)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभाग(सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों सहित)।